कार्यालय – अधिष्ठाता, छात्र कल्याण

हरकोर्ट बटलर प्राविधिक विश्वविद्यालय, कानपुर–02

पत्रांक :228/अ0छा0क0/2024 दिनाँकः– 10/06/2024

: :सूचना : :

कृपया मा० कुलपति महोदय द्वारा दिये गये अनुमोदनोपरान्त विश्वविद्यालय के शैक्षिक सत्र 2024–25 में छात्रों/छात्राओं के द्वारा उनके अनुरोध पर छात्रावासों के आवंटनोपरान्त सीमित समय तक सुविधाओं का उपभोग करने के बाद एवं अन्य कारणोंवश् शुल्क वापसी से सम्बन्धित नीतिगत नियमावली निम्नोक्त हैं :–

बिन्दु संख्या 1.विश्वविद्यालय के अंतर्गत संचालित विभिन्न पाठ्यक्रमों के विभिन्न विधाओं में नव–प्रवेशित प्रथम वर्ष के छात्रों/छात्राओं के द्वारा छात्रावासों की सुविधाओं हेतु उनके अनुरोध पर कक्षों का आवंटन, आवटनोंपरान्त अन्यत्र प्रवेश होने के कारण सुविधाओं का उपभोग न करने पर छात्रों द्वारा अन्यत्र हुये प्रवेश का प्रवेश हेतु निर्गत आवंटन–पत्र प्रस्तुत करने पर समिति ने शत–प्रतिशत (सम्पूर्ण शुल्क) वापसी की अनुशंसा की।

बिन्दु संख्या 2.बिन्दु सं0 01 के क्रम में ऐसे नव–प्रवेशित छात्रों/छात्राओं द्वारा प्रथम वर्ष में प्रवेश लेने, सीमित अवधि (अधिकतम 01 माह) तक सुविधाओं का उपभोग करने के पश्चात् किसी अन्य संस्था में प्रवेश लेने के कारण छात्रावास छोड़ रहे है, के संबध में छात्रों/छात्राओं से अधिष्ठाता, छात्र कल्याण के मद में जमा की गई धनराशि रु० 3,750.00 (रूपया तीन हजार सात सौ पचास मात्र) की वापसी न करके शेष मदों की धनराशि की जितने समय तक छात्र/छात्रा ने छात्रावास सुविधाओं का उपभोग किया है, उतने दिनों की कटौती करते हुये शेष धनराशि को वापस किये जाने का समिति द्वारा निर्णय लिया गया। इसी क्रम में छात्रावास में 01 माह से अधिक समय तक निवासरत् प्रथम वर्ष के किसी भी छात्र/छात्रा का छात्रावास शुल्क वापस नहीं किया जाएगा।

बिन्दु संख्या 3.विश्वविद्यालय के अंतर्गत संचालित विभिन्न पाठ्यक्रमों के विभिन्न विधाओं में अध्ययनरत् द्वितीय वर्ष, तृतीय वर्ष एवं अन्तिम वर्ष के छात्रों/छात्राओं द्वारा किये गये अनुरोध पर उन्हें छात्रावासों के कक्षों का आवटंन किया गया एवं आवंटनोपरान्त छात्र/छात्रा द्वारा छात्रावास की सुविधाओं का उपभोग किया गया है, उन्हें शुल्क की वापसी किसी भी दशा में नहीं होगी। छात्रों/छात्राओं द्वारा छात्रावास को आवंटित किये जाने हेतु अनुरोध करने के साथ–साथ शुल्क भी जमा कर दिया, परन्तु उन्हें छात्रावास का आवंटन नहीं हो सका ऐसी स्थिति में छात्रों/छात्राओं को शत–प्रतिशत (सम्पूर्ण धनराशि) वापस होगी।

अतः उक्त के क्रम में अनुरोध है कि शैक्षिक सत्र 2024–25 के आरम्भपूर्व उपरोक्त अनुमोदित नीतिगत नियमावली को छात्रों/छात्राओं के संज्ञान में लाने हेतु सम्बन्धित को दिशा निर्देशित करने का कष्ट करें, जिससे समस्त छात्रों/छात्राओं को इसकी जानकारी हो सके।

(प्रो० अलक कुमार सिंह)
अधिष्ठाता, छात्र कल्याण

प्रतिलिपि निम्नोक्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. समस्त अधिष्ठातागण/अनुभाग प्रभारी/पुस्तकालयाध्यक्ष/कार्यशालाधीक्षक/चिकित्साधिकारी, एच.बी.टी.यू. कानपुर।
2. समसत विभागाध्यक्ष, एच.बी.टी.यू. कानपुर को इस आशय के साथ प्रेषित की उपरोक्त की जानकारी छात्रों/छात्राओं को अनिवार्य रूपसे कराना सुनिश्चित् करें।
3. प्रति कुलपति, एच.बी.टी.यू. कानपुर।
4. कुलसचिव, एच.बी.टी.यू.कानपुर।
5. वित्त नियत्रंक, एच.बी.टी.यू.कानपुर।
6. समस्त छात्रावासों के छात्रावास अभिरक्षकों, एच.बी.टी.यू., कानपुर को इस अभ्युक्ति के साथ प्रेषित की उपरोक्त की जानकारी छात्रावास आवंटित नव–प्रेषित एवं पूर्व छात्रों/छात्राओं को अनिवार्य रूप से कराना सुनिश्चित करें।
7. सिस्टम मैनेजर, एच.बी.टी.यू. कानपुर को विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
8. विशेष कार्याधिकारी, कुलपति कार्यालय को मा० कुलपति जी के सादर संज्ञानार्थ।

(प्रो० अलक कुमार सिंह)
अधिष्ठाता, छात्र कल्याण

Scanned with CamScanner